

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015—माघ 17, शक 1936

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2014

क्र. एफ. 2-1-2013-छ:-1.—संक्षिप्त नियम—(1) यह नियम मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के भारत के लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन यात्रा नियम-2014 कहलायेंगे.

2. उद्देश्य तथा परिभाषा.—(1) इस योजना का उद्देश्य सिन्धु दर्शन तीर्थयात्रा पर जाने वाले प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है.

(2) तीर्थ यात्री से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसने लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा पूर्ण कर ली हो.

3. तीर्थयात्रा पर जाने के लिये पात्रता.—(I) भारत के लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थयात्रा पर जाने वाला तीर्थयात्री मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो.

(II) मध्यप्रदेश शासन (धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग) द्वारा चयनित व्यक्ति ही योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा.

(III) सिन्धु दर्शन यात्रा हेतु जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जावेंगे तथा प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा. यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी (कम्प्यूटाईज्ड ड्रा ऑफ लॉट्स) द्वारा यात्रियों को चयन किया जाएगा. कोटे के 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी. चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा.

(IV) लाटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति (यदि उनके द्वारा भी यात्रा के लिये आवेदन किया गया हो) को एक मानते हुये लाटरी निकाली जाएगी एवं लाटरी में चयन होने पर यात्रा के लिये उपलब्ध बर्थ/सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जाएगी.

(V) जीवनकाल में केवल एक बार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी.

4. तीर्थयात्रा हेतु अनुदान राशि.—(1) मध्यप्रदेश के ऐसे व्यक्ति जिन्हें मध्यप्रदेश शासन (धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग) द्वारा चयनित व्यक्ति की सूची में स्थान पाते हुए उनके द्वारा लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा पूर्ण कर ली हो तो उन्हें यात्रा उपरान्त यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम रुपये 10,000/- प्रति तीर्थयात्री तक राज्य शासन द्वारा की जायेगी, इसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(2) अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरांत अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा.

इस नियम के किसी भी उपखण्ड की व्याख्या के लिये प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के निर्देश अंतिम होंगे.

उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, उपसचिव.

प्रपत्र

भारत में लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थयात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र :—

- (1) यात्री का नाम
- (2) पिता/पति का नाम
- (3) व्यवसाय
- (4) निवास स्थान का पूर्ण पता (दूरभाष क्रमांक यदि हो तो)
- (5) यात्रा का दिनांक एवं यात्रा पर हुए व्यय का विवरण
- (6) लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र.
- (7) कलेक्टर द्वारा चयन किये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र
- (8) लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन मंदिर की क्या प्रथम यात्रा है (हां/ नहीं).
- (9) पहचान-पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

नोट.—आवेदन-पत्र, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल को यात्रा के बाद दो माह का समयावधि में प्रेषित करना होगा.